



छावनी परिषद् कार्यालय / Office of the Cantonment Board  
जालंधर छावनी / Jalandhar Cantonment  
जालंधर, पंजाब -144005 / Jalandhar, Punjab-144005  
दूरभाष : 0181-2260250 | ई-मेल : [ceojalan-stats@nic.in](mailto:ceojalan-stats@nic.in)

ई-मेल/e-Mail

सं. जे.सी.बी./कर/प्रकाशन/2022/238

दिनांक: 30/5/2022

मै. के.वी. एडवरटाइजर,  
शॉप -01, शास्त्री मार्किट -2,  
जालंधर शहर।

**विषय : प्रकाशन**

कृपया निम्नलिखित विज्ञापन को दैनिक जागरण में राष्ट्रीय संस्करण में कम से कम कॉलम में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें और अपने बिल DAVP रेट्स के साथ भेजें।

**हर काम देश के नाम**


**छावनी परिषद् कार्यालय जालंधर छावनी**


**सार्वजनिक सूचना**

जालंधर छावनी के सभी निवासियों और दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि साल 2022 - 2023 के संपत्ति टैक्स का बकाया बिल कैंट बोर्ड के दफ्तर में बिल पर दर्शाई तारीख (30.06.2022) तक जमा करवाएं। जिसकी रसीद कम्प्यूटर द्वारा ई-छावनी पोर्टल (e- Chhawani Portal) <http://jalandhar.cantt.gov.in> से जारी होगी। संपत्ति टैक्स का बकाया बिल आप घर एवं दुकान पर बैठ कर इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड एवं UPI Application के माध्यम से दर्शाई हुई जालंधर छावनी की वेबसाइट पर जमा कर के रसीद प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने संपत्ति टैक्स का भुगतान 30.06.2022 तक नहीं किया तो बिल में 01 जुलाई से 100/- रुपये नोटिस ऑफ़ डिमांड जमा हो जायेंगे और यदि आप नोटिस ऑफ़ डिमांड के बाद भी अपना बिल जमा नहीं करवाते तो इसके एवज में आपसे 01 सितम्बर, 2022 से 1% प्रति माह ब्याज संपत्ति टैक्स पर वसूल किया जाएगा।

दूरभाष सं. 0181-2260250

<https://jalandhar.cantt.gov.in>

  
मुख्य अधिशासी अधिकारी  
छावनी परिषद्, जालंधर

  
मुख्य अधिशासी अधिकारी  
छावनी परिषद्, जालंधर

प्रतिलिपि:-

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| 1. कर अधीक्षक          | - | इसको लाउड स्पीकर द्वारा छावनी में घोषणा की जाए।  |
| 2. कंप्यूटर प्रोग्रामर | - | छावनी परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड करें।   |
| 3. जी.ए.सी,            | - | कार्यालय नोटिस बोर्ड और छावनी परिषद् के प्रमुख स्थानों पर जनता को जागरूक करने के लिए चस्पा किया जाए। |
| 4. लेखाकार             | - | आवश्यक कार्यवाही हेतु।   |